

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

5 AUG 2016

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	महेश कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जैसलमेर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, के साक्षात्कार हेतु।
2.	निशांत गौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, कर भवन अजमेर	सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2015 के साक्षात्कार हेतु।
3.	सोनिया पूर्वा (वर्मा) कनिष्ठ विधि अधिकारी	अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, वृत बीकानेर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2015 के साक्षात्कार हेतु।

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

ह.

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


05-08-16
संयुक्त शासन सचिव